न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 32 /2020 एल.आर.एक्ट

कृष्ण लाल पुत्र श्री श्रवणराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं03, चक 6पीएसडी''बी'' तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, घड़साना
2. ग्राम पंचायत 9 पीएसडी'' ए'' तहसील घड़साना जरिये सचिव/सरपंच।

रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः 1– श्री बालकिशन शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21.1.2020

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ12(3)(19) राजस्व/17/6559 दिनांक 27.7.2017 जिसके द्वारा चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 की कुल 3.225 हैक्टेयर अनकमाण्ड एवं मु0नं0 194/63 की 2.530 हैक्टेयर कुल 5.755 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड राजकीय भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत 9पीएसडी''ए'' को निर्धारित शर्तो पर किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत चक 9पीएसडी''ए'' के प्रस्ताव सं02 दिनांक 10.4.07 द्वारा चक 3 पीएम के मु0नं0 194/56 व 194/63 की कुल 5.755 हैक्टेयर अनकमाण्ड/कमाण्ड आबादी भूमि हेतु आवंटन करने का निवेदन करने पर तहसीलदार घड़साना ने पत्रांक कैंप/10 दिनांक 10.5.17 जारी कर ग्राम पंचायत चक 9 पीएसडी का मूल प्रस्ताव, रिपोर्ट पटवारी व नक्शा मय जमाबन्दी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2017/1298 दिनांक 12.6.17 द्वारा तहसीलदार, घड़साना के प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 की कुल 3.225 हैक्टेयर अनकमाण्ड एवं मु0नं0 194/63 की 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 5.755 हैक्टेयर अनकमाण्ड/कमाण्ड रकबा राज भूमि आबादी प्रयोजन के लिए सैट अपार्ट करते हुए आवंटन के लिए मूल पत्रावली जिला कलक्टर,श्रीगांगनगर को भिजवाई गयी, जिस पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने आदेश आदेश क्रमांक एफ12(3)(19) राजस्व/17/6559 दिनांक 27.7.2017 पारित करते हुए चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 की कुल 3.225 हैक्टेयर अनकमाण्ड एवं मु0नं0 194/63 की 2.530 हैक्टेयर कुल 5.755 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड राजकीय भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत

संभागीय आयुक्त बीकानेर

9पीएसडी''ए'' को निर्धारित शर्तो पर किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये । जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 27.7.17 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर से हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी । अपील में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.17 से चक 3 पीएम II के मु0नं0 194/63 के किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 10.00 बीघा (2.530 हैक्टेयर) अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के समीपस्थ शुध्द रुप से कृषि भूमि थी, जो केवल अपीलार्थी के आवंटित किये जाने योग्य थी । उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी का कब्जा है तथा विक्रेता ने आवंटन अधिकारी के समक्ष स्माल पेच के आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था, जो अभी तक विचाराधीन था, जिस पर कोई गौर नहीं किया, जबकि उक्त प्रस्तावित की गयी कमाण्ड भूमि पर आज भी काश्त होती है । यह कि रेस्पोन्डेंट सं02 ग्राम पंचायत चक 9पीएसडी को आबादी भूमि विस्तार हेतु भूमि की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चक 3पीएम II की आबादी भूमि हेतु समुचित आबादी मुरब्बा नम्बर 194/56 के किला नम्बर 1,2,3,4,7 ता 13, 19 ता 21 कुल 14 बीघा भूमि आबादी हेतु समुचित रुप से उपलब्ध है । यह कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रुप से तैयार कर, बिना कोई सार्वजनिक सूचना जारी किये, प्रेषित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों का उल्लंघन है । यह कि अपीलाधीन आदेशानुसार रेस्पोन्डेंट सं02 द्वारा किसी भी शर्त की पालना नहीं की गयी । यह कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 26.11.19 को उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त हुई , तब दिनांक 28.11.19 को मुख्यालय आकर आवेदन किया एवं 29.11.19 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 10.12.19 को अपील पेश की गयी । अतः अपील मियाद में शुमार की जाकर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.11 चक 3 पीएम II के मु0नं0 194/63 के किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमिकी हद तक निरस्त फरमाया जावे ।

5. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण में तहसीलदार घड़साना द्वारा पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर नियमानुसार रिपोर्ट एवं नक्शा आदि शामिल कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाया गया, जिस पर धारा 92 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 व 194/63 की कुल 5.755 हैक्टेयर अनकमाण्ड/कमाण्ड आबादी भूमि पंचायत के प्रस्ताव अनुसार आबादी भूमि हेतु सैट अपार्ट कर आवंटन के लिए अनुशंषा करने पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत आबादी भूमि का आवंटन किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । यह अपील जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.17 के विरुध्द दिनांक 10.12.19 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है । नियमानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है परन्तु अपीलान्ट द्वारा यह अपील 2 वर्ष 3 माह देरी से प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के जो कारण अभिलिखित किये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है । अपील प्रकरण में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है:–

I. अपीलान्ट ने अपील में मुख्यरुप से यह आधार लिया है कि चक 3 पीएम–II के मु0पं0 156/63 की 2.530 हैक्टेयर विवादित कृषि भूमि जिसे अपीलाधीन आदेश से आबादी भूमि स्वीकृत किया गया है, वह अपीलान्ट मुरब्बा नम्बर में एवम् समीपस्थ होने के कारण दिनांक 10.2.17 को स्माल पेच आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है किन्तु अपीलान्ट को बिना कोई सूचित किये, बिना कोई सार्वजनिक सूचना प्रसारित किये उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा चक 3पीएम II की उक्त कृषि भूमि को आबादी भूमि में सैट अपार्ट कर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.7.17 से आबादी भूमि में आवंटित कर दी गयी ।

II. न्यायालय के अनुसार तहसील घड़साना के चक 3पीएम II की आबादी भूमि हेतु मुरब्बा नम्बर 194/56 के किला नम्बर 1,2,3,4,7 ता 13, 19 ता 21 कुल 14 बीघा भूमि पर 75 घरों की आबादी बसी हुई है, जिस पर डिग्गी, राजकीय विधालय, विधुत कनेक्शन एवं स्कूल संचालित है । इसी चक के मुरब्बा नं0 194/63 की 15 बीघा भूमि अपीलान्ट को आवंटित है एवम् इसी मुरब्बा के शेष किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 10बीघा अर्थात 2.530 हैक्टेयर शुध्द राजकीय कृषि भूमि है तथा अपीलान्ट की कृषि भूमि के समीपस्थ है । उक्त राजकीय कृषि भूमि के स्माल पेच में आवंटन हेतु अपीलान्ट के विक्रेता पक्ष रणजीतसिंह वगैरह द्वारा दिनांक 10.2.2017 को आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है । उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहने के दौरान उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2017/1298 दिनांक 12.6.17 द्वारा तहसीलदार, घड़साना के प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 की कुल 3.225 हैक्टेयर अनकमाण्ड एवं मु0नं0 194/63 की 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कुल 5.755 हैक्टेयर अनकमाण्ड/कमाण्ड रकबा राज भूमि आबादी प्रयोजन के लिए सैट अपार्ट करते हुए आवंटन के लिए मूल पत्रावली जिला कलक्टर,श्रीगांगनगर को भिजवाई गयी, जिस पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने आदेश आदेश क्रमांक एफ12(3)(19) राजस्व/17/6559 दिनांक 27.7.2017 पारित करते हुए चक 3 पीएम–II तहसील घड़साना के मु0नं0 194/56 की कुल 3.225 हैक्टेयर अनकमाण्ड एवं मु0नं0 194/63 की 2.530 हैक्टेयर कुल 5.755 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड राजकीय भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत 9पीएसडी''ए'' को निर्धारित शर्तो पर किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये । न्यायालय का अभिमत है कि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा चक 3पीएम–II के मु0नं0 194/63 किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 10बीघा अर्थात 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड आबादी प्रयोजन हेतु बिना कोई सार्वजनिक सूचना जारी किये, बिना कोई अपीलान्ट की सुनवाई किये, एक पक्षीय रुप से सैट–अपार्ट कर आबादी आवंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया गया है, जो इकतरफा कार्यवाही होने से प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों का उल्लंघन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 27.7.17 एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा आबादी भूमि के सैट अपार्ट करने आदेश विवादित भूमि 3पीएम–II के मु0नं0 194/63 किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 10बीघा अर्थात 2.530 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि चक 3पीएम–II के मु0नं0 194/63 किला नं0 3,4,8,9,12,13, 19 ता 20 कुल 10बीघा अर्थात 2.530 हैक्टेयर के सम्बनध में स्माल पेच आवंटन के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत आदेश पारित किया जावे ।

7. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.1.20 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर